(5) अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यों के निर्वहन हेतु बनाये गये नियम, विनियम, निर्देश, अनुदेश एवं शासनादेश :

शासन की अधिसूचना संख्या : **3482** ई/तेरह-**146-75** दिनांक **14** जून **1982** एवं संख्या : **1849/26-1-99-275(78)/89** दिनांक **30** दिसम्बर **1999** समय-समय पर संशोधित नियमावली/शासनादेशों के अनुसार क्रमशः राजपत्रित अधिकारियों एवं अराजपत्रित कर्मचारियों की सेवा नियमावली प्रख्यापित की गयी है। अधिसूचना संख्या **13/12/93**-का-**1/1993** दिनांक **14** अक्टूबर **1993** द्वारा ड्राइवर सेवा नियमावली तथा अधिसूचना संख्या : **6610** ई/तेरह/**199/76** दिनांक **12** जुलाई **1976** द्वारा समूह-घ की सेवा नियमावली प्रख्यापित की गयी। प्रदेश में मादक पदार्थों के सेवन के विरूद्ध कार्य कर रही सामाजिक स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रस्तावों का अग्रसारण भारत सरकार से अनुदान हेतु शासन को राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा किया जाता है।

सर्वसाधारण के बीच मद्यपान एवं मादक पदार्थों के सेवन के दुष्परिणामों के विरूद्ध जागरूकता पैदा किये जाने हेतु मद्यनिषेध के शिक्षात्मक प्रचार कार्यकमों का विवरण निम्नवत है :-

मद्यनिषेध के शिक्षात्मक कार्यकलापों के तहत दृष्टि सहाय द्वारा प्रख्यापन (डाक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रदर्शन, होर्डिंग्स, वालपेंन्टिग्स, ट्री गार्ड, बस पैनल, प्रदर्शन कक्ष की स्थापना) शिक्षात्मक प्रचार (गोष्ठी, सभा, सेमिनार, शिविर व सम्मेलनों का आयोजन, शिक्षण संस्थाओं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतियोगिताएं, नशीली दवाओं / पदार्थों के प्रति जनजागरूकता के कार्यक्रम, समाचार पत्रों में लेखों का प्रकाशन, दूरदर्शन ब आकाशवाणी के माध्यम से प्रचार) मनोरंजन एवं रचनात्मक कार्य (सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, व्यसनियों को उपचार हेतु प्रेरित किया जाना)

मूल्यांकन (मद्यनिषेध कार्यक्रमों के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया की जानकारी, कृत कार्यों का मूल्यांकन जनसम्पर्क और प्रचार कार्य) मद्यनिषेध साहित्य, पोस्टर्स, स्टीकर्स व हैण्डविल्स का प्रकाशन कराकर लेपन व वितरण आदि कार्य किये जाते हैं।

शासनादेश संख्या : **550** पी0पी0ई0/**13-50/58** दिनांक **03** फरवरी **1971** द्वारा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान समिति का गठन किया गया है जिनका उद्देश्य, लक्ष्य तथा कार्यकलाप निम्नवत है :-

(क) जनता से नशा निवारण कार्य के लिए अधिकतम सहयोग पाने का प्रयत्न करना व मद्यनिषेध के लिए उपयुक्त व प्रबल जनमत जागृत करना।

(ख) मादक पेय तथा अन्य मादक पदार्थों की निषेध संबंधी समस्याओं के विषय में जनमत की मौखिक, श्रव्य एवं दृश्य व अन्य प्रचार साधनों द्वारा सुगठित करना।

(ग) उन जातियों व वर्गों में जिनमें नशे का व्यसन अधिक पाया जाता है व्यक्तिगत तथा सामूहिक मद्यपान के विरूद्ध जातीय दबाव का संयोजन करना।

(घ) मद्यपान से ध्यान हटाने के लिए मनोरंजन के साधन तथा अन्य सुविधाओं को बढ़ावा देना।

(च) मद्यपी, अवैध रूप से मदिराकर्षण करने वाले अथवा मादक अपराधों में दण्ड पाकर छूटे हुए व्यक्तियों के लिए स्वस्थ जीविकोपार्जन के सुझाव देना व उनके लिए उनकी यथा संभव व्यवस्था करना।

(छ) मद्यनिषेध की योजना जहाँ लागू हो, की सफलता के लिए सामान्य रूप में जो अन्य कार्यवाहियाँ अपेक्षित हों उन्हें करना।

शासनादेश संख्या : 394 एम0एम0/26-2-2013-275(8)/2007 दिनांक 04 दिसम्बर 2013 द्वारा प्रदेश स्तर पर मा0 मद्यनिषेध मंत्री जी की अध्यक्षता में उ0प्र0 राज्य मद्यनिषेध परिषद गठित है, जिसके विधान, उद्देश्य व कार्य निम्नवत हैं :-

(क) जनता से नशा निवारण कार्य के लिए अधिकतम सहयोग पाने का प्रयास करना व मद्यनिषेध की सफलता के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना व प्रबल जनमत जागृत करते रहना।

(ख) मादक पेयों व पदार्थों की निषेध संबंधी समस्याओं जैसे अवैध मद्याकर्षण, तस्करी एवं दुरूपयोग के विरूद्ध जनमत को प्रचार साधनों द्वारा सामाजिक आधार पर संगठित करना।

(ग) मद्यपान से ध्यान हटाने के लिए मनोरंजन के साधन तथा अन्य कार्यवाहियाँ अपेक्षित हों उनके बारे में परामर्श देना।

(घ) मद्यनिषेध की सफलता के लिए सामान्य रूप से जो अन्य कार्यवाहियाँ अपेक्षित हों उनके बारे में परामर्श देना।

(ड.) राज्य में मादक वस्तुओं से संबंधित अपराधों को पकड़ने तथा रोकने की रीतियों में सुधार के सुझाव देना व सहयोग करना।

(च) नशीले पदार्थों के प्रयोग से ग्रस्त रोगियों के उपचार एवं उसके पुनर्वास की व्यवस्था के संबंध में परामर्श देना।

उक्त सभी अभिलेख विभाग के मुख्यालय में इलेक्ट्रॉनिक फार्म में विस्तार से देखे जा सकते हैं।